राष्ट्रीय लोक अदालत

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 143/2022

वाद पत्र अं.धारा 88 आर.टी.ए.

राजेश पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

–वादी

बनाम्

1. पृथ्वीराज पुत्र श्री धनराज जाति जाट निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. उर्मा पत्नी रामरतन पुत्री पृथ्वीराज जाति जाट निवासी तलवाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. निर्मला देवी पत्नी रामस्वरूप पुत्री पृथ्वीराज जाति जाट निवासी तलवाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. कमलेश पत्नी सुमित पुत्री पृथ्वीराज जाति जाट निवासी 4 सी नेतेवाला तहसील व जिला श्री गगानगर(राज.)
5. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया ।

–प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी संगरिया जिला हनुमानगढ़

उपस्थित:–

1. श्री आत्मा सिंह गोदारा एडवोकेट– वादी
2. श्री कपिल गोदारा–एडवोकेट– प्रतिवादी सं. 1 ता 4

निर्णय

दिनांक 13.08.2022

1. वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि यह कि वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी सं. 1 वादी व प्रतिवादी सं. 2 ता 4 के पिता है। प्रतिवादी सं. 1 पृथ्वीराज के नाम चक नं. 8 एनटीडब्ल्यू खाता सं. 54/49 जं.सं. 2073–2076 में खाता पृथ्वीराज वगैरा में 0.379 है. कृषि भूमि व चक नं. 12 एसबीएन खाता सं. 63/18 जं.सं. 2073–2076 में खाता पृथ्वीराज वगैरा में 0.342 है. कृषि भूमि व चक नं. 7 एनटीडब्ल्यू खाता सं. 56/37 जं.सं. 2070–2073 में खाता पृथ्वीराज वगैरा में [illegible] कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इस प्रकार प्रतिवादी सं. 1 के नाम से कुल [illegible]36 है [illegible] भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि प्रतिवादी सं. [illegible] प्रतिवादी सं. 1 को अपने पिता धनराज से विरासतन प्राप्त हुई है। वादी व प्रतिवादी सं. 2 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है। वादी प्र[illegible] सं. 1 का पुत्र है। प्रतिवादी सं. 1 के नाम से वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि वादी के दादा से विरासतन प्राप्त हुई है। जिसमें वादी व प्रतिवादी सं. 2 ता 4 का बहिब खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी व दावेदार है। वादपत्र की चरण संत्र. 2 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Dev
Date: 2022.11.23 14:09:53 IST
Reason: SelfAttested

13/8

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

लगातार–2–

वर्णित भूमि का घरूविभाजन प्रतिवादी सं. 1 ने काफी समय पूर्व अच्छी मंदी अनुसार काफी समय पूर्व कर लिया था मुताबिक घरूविभाजन राजस्व रिकॉर्ड में अंकन ना होने के कारण ट्युवेबल कनैक्शन लेने व फसली ऋणलेने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। मुताबिक घरूविभाजन प्रतिवादी सं. 1 ता 4 ने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि का परित्याग वादी के पक्ष में कर दिया है। घरू बटंवार विभाजन के रोज से ही वादी अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि काश्त करते आ रहा है। वादी ने प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया कि वादी को वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि में वादी को खातेदार मानकर उक्त कृषि भूमि चक नं. 8 एनटीडब्ल्यू खाता सं. 54/49 जं. सं. 2073–2076 में खाता पृथ्वीराज वगैरा में 0.379 है. कृषि भूमि व चक नं. 12 एसबीएन खाता सं. 63/18 जं.सं. 2073–2076 में खाता पृथ्वीराज वगैरा में 0.342 है. कृषि भूमि व चक नं. 7 एनटीडब्ल्यू खाता सं. 56/37 जं.सं. 2070–2073 में खाता पृथ्वीराज वगैरा में 4.215 है. कृषि भूमि इस प्रकार कुल 4.936 है. कृषि भूमि में वादी को खातेदार काश्तकार मानकर इसी अनुसार खाता अलग कायम करवा दो तो प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटोल करते रहे किन्तु बाद में पिछले सप्ताह वादी की बात मानने से कतई इन्कार हो गए बस यही वाद करण है। वादी उक्त कृषि भूमि पर घरू–विभाजन होने के पश्चात ही काबिज हैं वादी ने अपनी मेहनत व आमदन से उक्त कृषि भूमि में सुधार किया है व उसे समतल किया है। वादी उक्त कृषि भूमि में खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी व दावेदार है। प्रथमदृष्टय मामला व सुविधा का सन्तुलन वादी के पक्ष में है।प्रतिवादी संख्या 5 को लैंण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। इनसे कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है।वादपत्र बाबत घोषणा का है जो 2 रूपये के न्याय शुल्क पर पेश है व अन्दर मियाद है व माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है।

अतः वादपत्र प्रस्तूत कर निवेदन है कि बाद तहकीकात कर वाद वादी निम्न प्रकार से डिकी फरमाया जावें। कि चक नं. 8 एन.टी.डब्ल्यू. खाता सं. 54/49 जं. सं. 2073–2076 में खाता पृथ्वीराज वगैरा में 0.379 है. कृषि भूमि व चक नं. 12 एसबीएन खाता सं. 63/18 जं.सं. 2073–2076 में खाता पृथ्वीराज वगैरा में 0.342 है. कृषि भूमि व चक नं. 7 एन.टी.डब्ल्यू. खाता सं. 56/37 जं.सं. 2070–2073 में खाता पृथ्वीराज वगैरा में 4.215 है. कृषि भूमि दर्ज कृषि भूमि में वादी को घरूबंटवारनामा के अनुसार खातेदार काश्तकार मानकर वादी का खाता अलग कायम कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के मध्य लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसे तस्दीक किया गया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। पहले आधि... किया गया। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के मध्य राजीनामा होने के ... का वाद साबित होता है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए ... तनकीयात कायम किया जाने की आवश्यकता नहीं है। राजीनामा डिकी ... का भाग रहेगा। वादी का वाद राजीनामा होने के कारण स्वीकृत किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Dev
Date: 2022.11.23 14:09:53 IST
Reason: SelfAttested

<u>कियात्मक आदेश</u>

अतः वाद वादी उक्त विवेचन के आधार पर निम्नानुसार डिकी किया जाता है कि चक नं. 8 एनटीडब्ल्यू खाता सं. 54/49 जं.सं. 2073–2076 में खाता पृथ्वीराज वगैरा में 0.379 है. कृषि भूमि व चक नं. 12 एसबीएन खाता सं. 63/18 जं.सं.

13/8
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

लगातार–3–

2073–2076 में खाता पृथ्वीराज वगैरा में 0.342 है. कृषि भूमि व चक नं. 7 एनटीडब्ल्यू खाता सं. 56/37 जं.सं. 2070–2073 में खाता पृथ्वीराज वगैरा में 4.215 है. कृषि भूमि दर्ज इस प्रकार कुल 4.936है. कृषि भूमि में वादी राजेश को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं व प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जाता हैं। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसला शुमार नं. से कम होकर दफतर दाखिल हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे।

नोटः– यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिकीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दारामद कर दिया जावे।

निर्णय आज दिनांक **13.08.2022** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rames
Date: 2022.11.23 14:09:53
Reason: SelfAttested

डिकी बमुकदमें ईब्तदाई

अं. आदेश 20 नियम 6–7 व्या. प्रकिया संहिता

राष्ट्रीय लोक अदालत

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 143 / 2022

वाद पत्र अं.धारा 88 आर.टी.ए.

राजेश पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

–वादी

बनाम्

1. पृथ्वीराज पुत्र श्री धनराज जाति जाट निवासी बोलावाली तहसील संगरिया. जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. उर्मा पत्नी रामरतन पुत्री पृथ्वीराज जाति जाट निवासी तलवाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. निर्मला देवी पत्नी रामस्वरूप पुत्री पृथ्वीराज जाति जाट निवासी तलवाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. कमलेश पत्नी सुमित पुत्री पृथ्वीराज जाति जाट निवासी 4 सी नेतेवाला तहसील व जिला श्री गगानगर(राज.)
5. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया ।

–प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा मेरे समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री आत्मा सिंह गोदारा वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री कपिल गोदारा वकील प्रतिवादी सं. क्रमशः 1 ता 4 मिन जामिन मुदायला पेश होकर हुकम [illegible] किया [illegible] है कि चक नं. 8 एनटीडब्ल्यू खाता सं. 54 / 49 जं.सं. 2073–2076 में [illegible] पृथ्वी[illegible] वगैरा में 0.379 है. कृषि भूमि व चक नं. 12 एस[illegible] खाता सं. [illegible] 2073–2076 में खाता पृथ्वीराज वगैरा में 0.342 है. कृषि भूमि व चक नं. 7 [illegible]ब्ल्यू खाता सं. 56 / 37 जं.सं. 2070–2073 में खाता पृथ्वीराज वगैरा में 4.215 है. कृषि भूमि दर्ज इस प्रकार कुल 4.936है. कृषि भूमि में वादी राजेश को खातेदार काश्तक[illegible]षित किया जाता हैं व प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जाता हैं। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे।

लगातार–2–

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh De
Date: 2022.11.23 14:09:53 IST
Reason: SelfAttested

नोटः– यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दारामद कर दिया जावे।

निज.....X.....नल.....X.....मुब्लिक.....X.....निल.....X.....बाबत.....X..... निल.....X.....खर्चा मुकदमें के मय शुद्ध व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.........अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 13.08.2022 जारी किया गया।

13/8/22

(रमेश देव)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verifi

Digitally signed by Rame
Date: 2022.11.23 14:09:5
Reason: SelfAttested